अध्याय-प्रथम

परिचय

आधुनिक समय में लोकतंत्र एक प्रकार का जीवन-दर्शन है। राजनीति में इसकी अवधारणा शासन में इसके विकेन्द्रीकरण के विचार के रूप में समाहित है। राजनीति में लोकतंत्र के प्रयोग का तात्पर्य केवल राज्य सत्ता में लोगों की भागीदारी का प्रयास ही नहीं है, बल्कि सरकार के दैनिक कामकाज में लोगों को सहभागी बनाना भी है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण लोगों को सहभागिता प्राप्त करने का एक सशक्त उपाय है। इसका उद्देश्य शासन कार्यो में लोगों की अधिकतम और जीवंत सहभागिता को सुनिश्चित करना होता है।[1] यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की अवधारणाएँ एक-दूसरे की पर्यायवाची है या इनमें कोई भिन्नता है ? दोनों अवधारणाएँ इस अर्थ में पूरक है कि दोनों का मूल उद्देश्य शासन के कार्यो में लोगों की अधिकतम सहभागिता और स्वायत्तता प्राप्त करना होता है, और दोनों में अतंर यह है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एक राजनीतिक अवधारणा है वहीं स्थानीय शासन उसका एक संस्थागत रुप है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के तीन रुप है-राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि स्थानीय संस्थाओं में शासन की स्वायता अधिक हो और उसमे जनता की सहभागिता सुनिश्चित रहे। ये संस्थाएँ अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त हो और उसमे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन का नियंत्रण कम हो। आर्थिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि इन संस्थाओं को निर्धारित दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आर्थिक संसाधनों के प्रबंध का अधिकार और आत्मनिर्भरता का होना सुनिश्चित रहे । प्रशासनिक दृष्टिकोण से तात्पर्य स्थानीय शासन में

बिना ऊपर के हस्तक्षेप के कार्यों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और व्यावहारिक आयोजन का अधिकार।[2]

पंचायती राज संस्था, भारत में जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दोनों के रूप में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। पंडित नेहरू का विचार था कि भारत तभी प्रगति करेगा जब गाँव में रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से सचेत हो । इसलिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। बाद में यही शासन व्यवस्था विकसित होकर भारत के संविधान 73 वां संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के साथ पूरे भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम में पंचायतों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए अपनी स्वंम की योजनाओं की तैयारी व कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया है। जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदायों के स्व-शासन के लिए, संविधान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कानूनों को लागू करने का प्रावधान है, जिसे संविधान की 5 वीं और 6 वीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है।[3]

आदिवासी लोग देश के मूल निवासी हैं जिन्हें 'भूमि पुत्र' के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के बाद भारत में दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जनजातीय आबादी निवास करती है। अनुसूचित जनजाति एक प्रशासनिक शब्द है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़ा माना गया है । प्रशासनिक तंत्र आदिवासी लोगों के लिए कुछ विशिष्ट संवैधानिक विशेषाधिकारों के संरक्षण, और कल्याण करने के लिए प्रयास करता है। लोकुर समिति द्वारा एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने के लिए (क) आदिम विशिष्ट शाररिक लक्षण (ख) विशिष्ट संस्कृति (ग) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क के

शर्मीलेपन (घ) भौगोलिक अलगाव (ड़)) पिछड़ापन- सामाजिक और आर्थिक जैसी विशेषता होना अनिवार्य बताया। आदिवासी समुदाय देश के लगभग 15% क्षेत्रों में रहते हैं। ये विभिन्न पारिस्थितिक और भू-जलवायु परिस्थितियों में मैदानी, वन, पहाड़ियों और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत में आदिवासी समूदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। सन 1975-76 में तथा 1993-94 में पहली बार कुछ समूहों की पहचान एसटी के बीच हाशिए पर माना गया। इन्हें विशेष योजनाओं के लाभ के उद्देश्य से आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) नामक एक नई श्रेणी में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के 75 आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) हैं, जो 17 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में रहते   हैं। इनकी प्रमुख विशेषता (क) पूर्व-कृषि कार्य निर्वहन (ख) उनकी एक स्थिर या घटती जनसंख्या (ग) बहुत ही कम साक्षरता (घ) आजीविका का एक निर्वाह निम्न स्तर रहा है।[4]

अनुसूचित जनजातियां

2011 की जनगणना के अनुसार, देश की जनजातीय आबादी 10.42 करोड़ जो लगभग 8.6 प्रतिशत है। हालाँकि, जनगणना के अनुसार एसटी की आबादी अनुपात आंशिक रूप से बढ़ रहा है क्योंकि इस श्रेणी में उच्च प्रजनन दर रही है। 2001 की अवधि के दौरान जनजातियों की जनसंख्या 23.7% की वृद्धि दर से बढ़ी थी। भारत में आधे से अधिक एसटी मध्य या मध्य भारतीय क्षेत्र में निवास करते हैं और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में अच्छी आबादी रहती हैं। भारत के राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में कुल जनसंख्या में एसटी का अनुपात क्रमशः लक्षद्वीप (94.8%), मिजोरम (94.4%) नागालैंड (86.5%), मेघालय (86.1%) और अरुणाचल प्रदेश (68.8%) तथा प्रमुख राज्यों में क्रमशः आबादी छत्तीसगढ़ (30.6%)

झारखंड (26.2%) और उड़ीसा (22.8%) था। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में एसटी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कुल अधिसूचित 533 विभिन्न राज्यों में हैं, जिनमें से 62 अधिसूचित क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित हैं।

भारत के योजना आयोग के अनुसार अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से भूमिहीन गरीब वनवासी हैं जो खेती करने वाले, छोटे किसान और पशुपालक और घुमंतू चरवाहे हैं। कुल एसटी श्रमिकों का 81.56%, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्राथमिक कार्य कृषि में लगे हुए हैं, सामान्य आबादी का इनमे लगभग 31.65% कृषक हैं, तथा 36.85% खेतिहर मजदूर हैं। जो यह इंगित करता है कि अनुसूचित जनजाति अनिवार्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। वर्ष 2018 में भारत की कुल जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में 60.30% और शहरी क्षेत्रों में 40.70% में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी क्रमशः 28.3%, शहरी क्षेत्रो में 25.70% है। उड़ीसा में, लगभग 75% एसटी परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बड़ी संख्या में एसटी आदिवासी भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई स्थाई संपत्ति नहीं है और न ही स्थायी रोजगार और न्यूनतम मजदूरी दर प्राप्त करते है। समान और न्यूनतम मजदूरी से वंचित होने के कारण इन समूदायो से संबंधित महिलाएं और भी अधिक पीड़ित हैं। 2001 -2011 की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दर 35.62% से बढ़कर 57.10% हो गई है। एसटी पुरुषों के बीच साक्षरता दर 40.65% से बढ़कर 59.20% हो गई और एसटी महिला साक्षरता 2001-2011 की अवधि के दौरान 18.20% से बढ़कर 34.80% हो गई। कुल महिला साक्षरता की तुलना में एसटी महिला साक्षरता की दर लगभग 20% कम है।

प्रारम्भ काल से ही पंचायतें भारतीय गांवों की रीढ़ रही हैं। महात्मा गांधी ने भी आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्यों की परिकल्पना की थी। यही वजह रही की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जगह दी गई थी। यह वास्तव में पूर्णा स्वराज और ग्राम स्वराज की अवधारणा का एक अभिन्न अंग था। पूर्ण स्वराज की उनकी अवधारणा का अर्थ था स्थानीय समुदाय के द्वारा स्वायत्तपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके । इसका सीधा मतलब जीवन के हर पड़ाव में स्थानीय समुदाय के अंतिम व्यक्ति के विकास से है। महात्मा गांधी ने कहा:

“गाँव में हर वर्ष वयस्क ग्रामीणों, जिनमे पुरुषों और महिलाओं द्वारा पंचायत सदस्यों का न्यूनतम निर्धारित योग्यता के साथ चुनाव हो । इसमें स्वीकृत सभी स्वायत प्राधिकरण और क्षेत्राधिकार शामिल हों। इस पंचायत में अपने कार्यप्रणाली के संचालन के लिए संयुक्त विधायी, न्यायपालिका और कार्यपालिका हो।”[5]

बलवंतराय मेहता के नेतृत्व में समिति के अध्ययन समूह दल की सिफारिश की गयी जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना अर्थात पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। इसका उद्घाटन राजस्थान में नागौर में 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा किया गया था। उन्होंने पंचायती राज संस्थान को अभिन्न, लोकतांत्रिक स्वशासन और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकास दोनों के रूप में इसकी कल्पना की थी। पंडित नेहरू का विचार था कि भारत तभी प्रगति करेगा जब गाँव में रहने वाले लोग राजनीतिक रूप से जागरुक हों । उनका मानना था की “हमारे देश की प्रगति हमारे गांवों की प्रगति के साथ सीधे से जुडी हुई है। यदि हमारे गांव प्रगति करते हैं, तो भारत एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा और कोई भी इसके आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता यदि आप अपने दृढ़ संकल्प

से नहीं बढते हैं और आपसी झगड़े और गुटों में शामिल हो जाते हैं, तो आप अपने विकास के मिशन में सफल नहीं हो पाएंगे।" प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पंचायती राज अधिनियम को अपनाया। बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर अधिकांश राज्यों में पालन किया था, लेकिन इसमें कुछ स्थानीय बदलाव के साथ । सबसे महत्वपूर्ण राज्य में महाराष्ट्रा और गुजरात थे जिन्होंने काफी प्रशासनिक शक्तियों के साथ जिला परिषदों की स्थापना की थी। इसका जो स्थानीय प्रारूप रहा वह विकेंद्रीकृत राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति संरचना की आवश्यकता की सामान्य स्वीकृति के साथ थी।[6]

जमीनी स्तर पर आदिवासी समुदायों के स्वशासन के लिए, संविधान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग कानूनों को लागू करने का प्रावधान है, जिन्हें 5 वीं और 6 वीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है। इन विशेष प्रावधानों की मूल भावना यह है कि औपचारिक प्रणाली के संबंध में, जिसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए अपनाया जा सकता है, आदिवासी समाज की परंपरा को बुनियादी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि आदिवासी लोगों को पूरी तरह से आगे बढ़ने का अवसर मिले। उनकी स्थिति के बारे में उनकी अपनी समझ के अनुसार और कोई भी बाहर की व्यवस्था आदिवासी समाज को मजबूर नहीं करती है जो कि जनजातीय आबादी की समझ और हित से परे हो। आदिवासी विकास के पंचशील सिधांत के अनुसार कुछ बुनियादी सिद्धांत तैयार किए थे। इनके प्रमुख पांच बिंदु इस प्रकार से हैं-

(1) आदिवासी लोगों को उनकी भावना और समझ के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

(2) भूमि और वनों पर उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

(3) कामकाजी टीमों को स्वयं आदिवासी लोगों के बीच से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(4) इन क्षेत्रों में प्रशासन की अधिक दखलंदाजी नहीं होना चाहिए।

(5) इन क्षेत्रों में विकास के परिणामों का आकलन आँकड़ों या व्यय के अनुमानों के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए, और वे आदिवासियों गुणवत्ता के विकास के संदर्भ में होना चाहिए।

पंचायत को संवैधानिक दर्जा

पीआरआई को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में 73 वां संशोधन अधिनियम, 1992 लागू हुआ। इसलिए संविधान के 73 वें संशोधन का स्वागत सभी ग्रामीण भारत की राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओ द्वारा किया गया। यह अधिनियम केंद्रीयकृत राज्य संरचनाओं से निर्णय लेने की स्थानीय इकाई को शक्ति प्रदान करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को गहरा और मजबूत करने का आधार प्रदान करता है। शक्तियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित किया गया था ताकि वे सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास शुरू कर सकें और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर समाज का निर्माण कर सकें। यह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विकेंद्रीकरण और गरीबी में कमी और उनके कल्याण के सिद्धांत में क्रांति की एक शुरुआत थी। संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

(2) सीटें एससी और एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया।

(3) जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य के बीच और चुनाव के माध्यम से जिला योजना समितियों (डीपीसी) का गठन किया गया।

(4) अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन में राज्य द्वारा शक्ति और जिम्मेदारियों का आवंटन किया गया।

(5) राज्य विधायिका ने पंचायत को उपयुक्त स्थानीय करों को वसूलने, एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत किया गया । सरकार संबंधित राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान दे सकती है।

(6) पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा एक राज्यों की वित्त आयोग द्वारा की गयी, जिसका गठन हर पांच साल में किया गया ।

(7) पंचायतों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया ।

73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम देश भर में इन संस्थानों को त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गयी । वर्तमान में भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकार में ग्रामीण स्तर पर 2,32,278 पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर 6,022 पंचायत और जिला स्तर पर 535 पंचायत हैं जिनमें लगभग 29.2 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

पंचायतों को मुख्य रूप से विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है। इस प्रकार, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि पंचायतें बुनियादी सेवाओं के लिए स्थानीय वरीयता और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में रहे । कुशल और प्रभावी लक्ष्यीकरण के मामले में गरीबी का मुकाबला करने के लिए पंचायती राज संस्था एक आशाजनक संस्थागत कड़ी रही है। इसलिए, पंचायती राज संस्थाओं को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, इसलिए इसे जमीनी स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेने की योजना और कार्यान्वयन के लिए एक उपकरण के रूप में

मान्यता दी जा रही है। सरकार कार्यों, शक्तियों और वित्त के मामले में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

अनुसूचित क्षेत्र

दो अनुसूचियां- पांचवीं और छठी अनुसूचियां - भारत के संविधान में एसटी द्वारा बसाए गए क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था है। मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों की एक बड़ी संख्या को ब्रिटिश काल के दौरान आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए घोषित किया गया था। ये क्षेत्र 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम और भारत सरकार के 1936 के अधिनियम बनाये गये । स्वतंत्रता के बाद, इन क्षेत्रों को क्रमशः पांचवें और छठे अनुसूचियों को भारत के संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। अब उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जिनमे कुछ अन्य मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा भी बाद में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है ।

पांचवीं अनुसूची

संविधान की इस अनुसूची के प्रावधानों के तहत राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की जाती हैं। राज्यपाल एक राज्य सरकार में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह', अर्थात् चुनी हुई राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के साथ करने के लिए करता है। व्यवहार में, वह मंत्रिमंडल के फैसलों और चुनी हुई सरकार की नीति से बाध्य है। पांचवीं और छठी अनुसूचियों द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारों को राज्य सरकार से स्पष्ट मंजूरी के बिना प्रयोग किया जा सकता है या नहीं इस पर मुद्दे काफी बहस भी हुई । पांचवीं अनुसूची

'अनुसूचित क्षेत्रों' को राष्ट्रपति के रूप में ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित करती है, राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श और राज्य सरकार के परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति नए क्षेत्रों को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या 'अनुसूचित क्षेत्रों' से संबंधित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकते हैं।

आदिवासियों की सुरक्षा और लाभ के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं:-

ए. अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है।

1. जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है।

2. एसटी आदिवासी के सदस्यों के व्यवसाय को विनियमित किया गया है।

3. ऐसा कोई विनियमन करने में, राज्यपाल संसद के या राज्य के विधानमंडल के किसी भी अधिनियम को निरस्त कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है, जो उस क्षेत्र में लागू होता है।

बी. राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों या राज्य के किसी भी हिस्से पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए लागू होगा जो वह निर्दिष्ट कर सकते हैं।

सी. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष, या जब भी आवश्यक हो, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट बना

सकते हैं। अनुसूची यह भी शक्ति प्रदान करती है कि संघ राज्य सरकार को उक्त क्षेत्र के प्रशासन के लिए निर्देश दे सकता है।

डी. अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की स्थापना का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं बल्कि एसटी होने वाले किसी भी राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है। जनजातीय सलाहकार परिषद में बीस से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनमें से तीन-चौथाई राज्यों के विधान सभा में अनुसूचित जनजातियो के प्रतिनिधि होने चाहिए। राज्य में अनुसूचित जनजातियो के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की अहम् भूमिका है।

ई. पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 जिसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तारित पंचायतों (निर्वाचित ग्राम सभाओं) से संबंधित प्रावधान भी अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान करता हैं।

किसी भी क्षेत्र को पांचवीं अनुसूची के तहत ‘अनुसूचित क्षेत्र’ घोषित करने के लिए मानदंड हैं:

आदिवासी आबादी का पूर्वानुभव, क्षेत्र की संरचना और उचित आकार, एक व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक, पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दिखाई दे।

छठी अनुसूची

संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में कुछ 'आदिवासी क्षेत्रों' के प्रशासन पर लागू होती है। ये क्षेत्र स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों द्वारा शासित हैं और इनमें जिला परिषद, स्वायत्त परिषद और क्षेत्रीय परिषद भी हैं। इन परिषदों में व्यापक विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियाँ हैं। उन्हें प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजार, मवेशी तालाब, घाट, मछली पालन, सड़क परिवहन और जलमार्ग आदि जैसे मामलों के संबंध में जिला परिषद की मंजूरी अनिवार्य है। उत्तरी कैचर हिल्स की स्वायत्त परिषदों और असम में कार्बी आंगलोंग को माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए जिला परिषद को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं (बोडोलैंड और त्रिपुरा को छोड़कर)। सिविल प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ मुकदमों और अपराधों, अपने क्षेत्र में राजस्व और करों को इकट्ठा करने के लिए एक राजस्व प्राधिकरण की शक्तियों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों को विनियमित करने और प्रबंधित करने के लिए शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया है। छठी अनुसूची विशेष रूप से जिला परिषदों के अधिकार क्षेत्र से जैसे कि आरक्षित वन (एक विशेष प्रकार के सरकारी वन) और राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण जैसे कुछ मुद्दों को शामिल करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि इन अनुसूचित जिला परिषदों के पास 'पूर्ण' विधायी शक्तियां नहीं हैं, उनकी शक्तियाँ छठी अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों तक सीमित हैं और उदाहरण के लिए, भूमि के हस्तांतरण पर उनकी शक्तियाँ शामिल हैं या गैर-रॉयल्टी वसूलना, वन उत्पाद के लाभ के बटवारा के रूप में देख सकते हैं।[7]

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए इन प्रावधानों का विस्तार करने के लिए संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम (पीईएसए) के लिए पंचायत विस्तार लागू किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को संसद में PESA के पारित होने के एक वर्ष के भीतर राज्य कानून बनाये गये। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में से आठ राज्यों ने पेसा प्रावधानों में शामिल करने के लिए अपने मौजूदा पंचायत अधिनियमों में संशोधन किया है। हालाँकि, नव गठित झारखंड राज्य ने 2001 में एक नया पंचायत अधिनियम बनाया गया।

अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) पंचायतों पर एक ऐसा राज्य कानून बनाया जा सकता है जो प्रथागत नियमो, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हो।

(2) इसमें एक गाँव या बस्ती या बस्तियों का समूह या फिर एक समुदाय हो जो परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का स्वम् प्रबंधन करे।

(3) प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हो।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओ, रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण और आपसी विवाद समाधान के प्रथागत नियमो को लागू करने के लिए सक्षम हो।

(5) प्रत्येक ग्राम सभा- i) इस तरह की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वित करने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी देती है, ii) लोगो की पहचान, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों का चयन करती है।

(6) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को ग्राम सभा से योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा धन के उपयोग को पारदर्शी आवंटन आवश्यक हो।

(7) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण पंचायत में आदिवासी समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित हो बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम न हो और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हों।

ए. राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को नामित कर सकती है, जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बशर्ते ऐसा नामांकन पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें हिस्से से अधिक न हो।

बी. विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से पहले, वास्तविक योजना और कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा या पंचायतों से उचित स्तर पर परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर समन्वित किया जाए।

सी. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन पंचायतों को उचित स्तर पर सौंपा जाए।

डी. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनिवार्य किया जाए।

ई. नीलामी द्वारा प्रमुख खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य हो।

फ. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियों और अधिकारों के साथ समाप्त करने के लिए, जो उन्हें स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, एक राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करे कि पंचायतें उचित स्तर पर और ग्राम सभा विशेष रूप से संपन्न हों। इनमें निषेध लागू करने या किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और खपत को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने जैसी कार्यो को करने की शक्ति शामिल है।

लघु वन उत्पादों का स्वामित्व

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के बेदखल को रोकने की शक्ति और अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध रूप से अलग-थलग भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति, गाँव के बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति का प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों को धन उधार पर नियंत्रण करने की शक्ति, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है, आदिवासी उप-योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण करने की शक्ति का भी प्रावधान है। राज्य का कानून जो

पंचायतों को शक्तियों और अधिकारों से संपन्न कर सकता है, उन्हें स्व-सरकार की एक संस्था को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है, उच्च स्तर पर पंचायतें किसी ग्राम सभा की पंचायत की शक्तियों और उसके अधिकारों को कम न मानें। राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करते हुए संविधान की छठी अनुसूची के में दिए गये प्रावधानों के पालन करने का प्रयास करे।[8]

पंचायती राज और ग्रामीण और जनजातीय विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले आदिवासीयो के विकास परस्पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित है। ग्रामीण और आदिवासी लोगों के जीवन स्तर में और न्यूनतम बुनियादी जरूरतें, सुधार तथा पर्याप्त गुणवत्ता वाली सामाजिक सेवाएं प्रदान करके ही उनका उचित विकास किया जा सकता हैं। यह एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है। इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों, गाँव और कुटीर उद्योगों और शिल्प, सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना, सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं के साथ साथ मानव संसाधनों का विकास शामिल है। शासन का विकेंद्रीकरण ग्रामीण और जनजातीय विकास से कई मायनों में जुड़ा हुआ है। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि पंचायतें बुनियादी सुविधाओं की सेवाओं के लिए स्थानीय प्राथमिकताओ की पहचान करने के लिए बेहतर स्थिति में रहे । इसमें प्रभावी लक्ष्यीकरण के मामले में गरीबी का मुकाबला करने के लिए पंचायती राज संस्थान एक आशाजनक संस्थागत कड़ी हो सकते हैं। पंचायतों के बढ़ते महत्व के साथ, ग्रामीण और आदिवासी विकास के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। पंचायतों को मुख्य रूप से विभिन्न केन्द्र प्रायोजित विकास कार्यक्रमों जैसे कि MGNREGS, RGGVY, PMGSY, IAY, TSE, NRHM, CRSP, ARWSP,

SSA, मिड डे मील, आदि के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाया किया जा रहा है।

भारत निर्माण: यह योजना अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास से भी जुड़ा है। वित्त मंत्री ने 28 फरवरी 2005 को अपने बजट भाषण में, ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक के रूप में पहचाना और पहाड़ी के मामले में 1000 (500 की आबादी वाले सभी गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया) (आदिवासी क्षेत्र) वर्ष 2009 तक पूरी तरह से सड़कों के साथ। कुल 66,802 बस्तियों को भारत निर्माण के तहत नई कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसमें 1, 46,185 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण शामिल है। नई कनेक्टिविटी के अलावा, भारत निर्माण ने मौजूदा ग्रामीण सड़कों के 1, 94,130 किमी के उन्नयन / नवीनीकरण की परिकल्पना की है। इसमें 60 प्रतिशत अपग्रेडेशन और 40 प्रतिशत नवीकरण लागत शामिल है।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई): भारत सरकार गरीबी रेखा (बीपीएल) ग्रामीण परिवारों को अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित आवास इकाइयों के निर्माण / उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1985-86 से इंदिरा आवास योजना लागू कर रही है। अनुसूचित जनजाति और बंधुआ मजदूर वर्ग को मुक्त कर दिया है । योजना के तहत, वित्तीय संसाधन केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 आधार पर साझा किए जाते हैं। चूंकि आश्रयहीनता में कमी प्राथमिक उद्देश्य है, 75 प्रतिशत वेटेज आवास की कमी को दिया जाता है और 25 प्रतिशत गरीबी के अनुपात में राज्य स्तर के आवंटन के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिला-स्तरीय आवंटन के लिए, 75 प्रतिशत वेटेज फिर से आवास की कमी और 25 प्रतिशत संबंधित जिलों की एससी / एसटी आबादी को दिया जाता है।

किए गए आवंटन और निर्धारित लक्ष्य के आधार पर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA / जिला परिषद) IAY के तहत पंचायत वार घरों का निर्माण करने का निर्णय लेती है और संबंधित ग्राम पंचायत को भी शामिल करती है। इसके बाद, ग्राम सभा लाभार्थियों का चयन करती है। स्थायी IAY वेटलिस्ट से पात्र परिवारों की सूची से आवंटित लक्ष्य तक इसकी संख्या को सीमित करना है। इसमें उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक IAY घर के लिए सेनेटरी लैट्रीन और धुआं रहित चूल्हा और उचित जल निकासी होना जरूरी है।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC): अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छता सुविधाओं के लिए सूचना उत्पादन, शिक्षा और संचार (IEC) की मांग पर जोर देता है। यह लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए स्कूल स्वच्छता और स्वच्छता शिक्षा पर जोर देता है इसमें सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त करने और वर्ष 2021 तक सभी के लिए स्वच्छता का लक्ष्य रखा गया है। टीएससी के घटकों में स्टार्ट-अप को भी शामिल किया गया हैं। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रो में सेनेटरी परिसर, घरेलू शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, स्कूल स्वच्छता और स्वच्छता शिक्षा, आंगनवाड़ी शौचालय और वैकल्पिक वितरण तंत्र पर ध्यान दिया गया है। इस परियोजना में गाँवों में ठोस / तरल अपशिष्ट निपटान के घटक को शामिल किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): NREGS, जो पहले चरण में 200 सबसे पिछड़े जिलों में 2 फरवरी, 2006 को लॉन्च किया गया था, दूसरे चरण में 330 जिलों तक विस्तारित किया गया। 28 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया, जहां यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू होगी। वर्तमान में यह योजना सम्पूर्ण भारत में

लागू कर दी गयी है सरकार का प्रमुख कार्यक्रम जो सीधे गरीबों जिनमे आदिवासी क्षेत्र की बहुलता वाले लोगो के आर्थिक हितो को पूरा करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका के लिए कम से कम एक सौ दिन की गारंटी वाला रोज़गार प्रदान करना है, जिसमे घर के वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम करते हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई): एसजीएसवाई को अप्रैल 1999 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया था। ग्रामीण आदिवासी गरीबों के लिए वर्तमान में यह एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY): SGRY को सितंबर 2001 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ टिकाऊ समुदाय, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में अतिरिक्त वेतन रोज़गार प्रदान करना रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम): एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में सबसे गरीब घरों में सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

मध्याह्न भोजन योजना: अगस्त 1995 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण में योगदान करते हुए नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एसएसए को लागू किया जा रहा है। एसएसए के तहत उपलब्धि में 2,40.888 स्कूल भवनों का निर्माण, 110,20,831 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 1,84,652 पीने के पानी की सुविधा, 2,86,862 शौचालयों का निर्माण, 9.05 करोड़ बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तक की आपूर्ति और नियुक्ति शामिल है। 10,11 लाख शिक्षकों के अलावा 2,88,155 नए स्कूल खोलने के लिए। प्रत्येक वर्ष लगभग 21.79 लाख शिक्षकों ने सर्विस प्रशिक्षण प्रदान किया गया। स्कूलों में बच्चों को दाखिला देने में महत्वपूर्ण सफलता के साथ, SSA का महत्वपूर्ण क्षेत्र ड्रॉपआउट्स को कम करने और छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने पर है। इस तरह की योजनाओ का सीधा लाभ पंचायतो के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रो में सफलतापूर्वक संचालित हुआ है।

अध्ययन का महत्व

आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए कई कानून पारित किए गए हैं, जिनमे से उन कानूनों योजनाओ के क्रियान्वयन पर प्रस्तुत शोध प्रकाश डालता है। 1996 की PESA कानून, जो पंचायत राज अधिनियम का और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में लोगों को खुद को संचालित करना है। इस कानून को लोगों की भागीदारी के बिना सफलतापूर्वक लागू किया जाना काफी असंभव है। इसलिए, लोगों की भागीदारी की प्रकृति मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र तक ही सीमित है। स्थानीय सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न राजनीतिक चेतना को लोकतांत्रिक दिशा की ओर उचित रूप से प्रसारित नहीं किया गया है। पंचायत राज के कार्यों के पूरक लोगों की भागीदारी के लिए स्वतंत्र स्वयंसेवी संगठनों, सहकारी समितियों और किसान संघों की भागीदारी लेकिन वे

पंचायत राज संस्थाओं की जाँच के रूप में कार्य करने में विफल रहे हैं। ये सभी संस्थान और स्थानीय निकाय संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। वर्तमान प्रशासन में निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी का उपयोग हेरफेर के एक उपकरण के रूप में किया गया है जिसके द्वारा प्रमुख जनजातियों और विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को लाभान्वित किया गया है। लोगों की भागीदारी को उत्पन्न करने में मुख्य बाधा ज्ञान की कमी, साधन, और लोगों से संपर्क करने के तरीके, उच्च स्तर के अधिकारियों और गैरअधिकारियों से समर्थन की अनुपस्थिति और -रही मान्य उदासीनतास्थानीय स्तर के अधिकारियों की सा इसके अलावा , जाति और राजनीतिक दबाव अधिक बार एजेंसी क्षेत्र में पंचायती राज संगठनों की औपचारिक समितियों के भीतर सत्ता की राजनीति में हेरफेर के उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम की सफलता निहित जब कार्यों, वित्त, और शक्तियों के पुनर्वितरण में, लेकिन विकेंद्रीकरण के विकास के लिए अनुकूल दृष्टिकोण, व्यवहार और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बदलाव किया जाये । यह परिवर्तन केवल सभ्य समाज के माध्यम से लाया जा सकता है। वर्तमान शोध इस बात पर केंद्रित है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जिला सोनभद्र राज्य उत्तरप्रदेश के आदिवासी स्थानीय स्वशासन में कैसे भाग ले रहे हैं और अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्रों को सशक्त बनाने में पेसा के प्रभाव का आकलन करते हैं। अध्ययन में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के कामकाज की प्रकृति का विश्लेषण भी किया गया है ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ पर पंचायती राज के माध्यम से राज्य तथा केंद्र की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराया जा रहा है, आदिवासी समाज की अपनी एक अलग समस्याए और चुनौतिया है जिसके समाधान के लिये पंचायती संस्थाए कार्य कर रही हैं । सोनभद्र जिले में अपने शोध के कार्य में वहां की वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ निःसंदेह आदिवासियों से

साक्षात्कार और शोध प्रारूप विषय वस्तु तैयार करने में नए अनुभव प्राप्त हुए। वहां के आदिवासी समुदायों में जागरूकता बढ़ी है और वे खुल कर समाज की मुख्यधरा में शामिल हो रहे हैं।

सोनभद्र परिचय, पंचायती राज और आदिवासियो की स्थिति

उत्तर प्रदेश, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के चार राज्य हैं। जिले में 6788 वर्ग कि.मी. का क्षेत्रफल और 1,862,559 (2011 की जनगणना) की आबादी है, जिसमें जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति किमी. है। यह राज्य के चरम दक्षिण-पूर्व में स्थित है, और मिर्जापुर जिले के उत्तर-पश्चिम तक, उत्तर में चंदौली जिले, बिहार के कैमूर और रोहतास जिले, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व झारखंड राज्य के गढ़वा जिले, कोरिया और सर्गुजा जिले दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले पश्चिम में राज्य जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज शहर में है। सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना आदि जैसे बहुत सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बिजली संयंत्र हैं। 1989 में, सोनभद्र जिले को मिर्जापुर जिले से अलग किया गया था।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र: 1, विधानसभा क्षेत्र: 4, मतदान केंद्र: 938, मतदान स्थल: 1475, मतदाता: 13,07,834

मतदाता पुरुष: 7,08,145, मतदाता महिला: 5,99,657

सोनभद्र जनपद 8 विकास खण्ड में विभक्त है, जिनके नाम निम्मवत है :

क्र० स० विकास खण्ड का नाम

1.रॉबर्ट्सगंज 2.घोरावल 3.चतरा 4.नागवा 5.चोपन 6.बभनी 7.म्योरपुर8.दुद्धी 9.कर्मा 10.कोन

सोनभद्र जनपद 3 तहसीलों में विभक्त है, जिनके नाम निम्मवत है :

क्र० स० तहसील का नाम

1.रॉबर्ट्सगंज 2. घोरावल 3.दुद्धी 4.ओबरा

सोनभद्र जिला प्रशासन में कलेक्ट्रेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईएएस के कैडर में कलेक्टर, जिला प्रमुख हैं। वह अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। वह मुख्य रूप से नियोजन और विकास, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित क्षेत्र / एजेंसी क्षेत्रों, सामान्य चुनाव, शस्त्र लाइसेंस आदि के साथ सरोकार रखते हैं | सोनभद्र जिले में ही अनुसूचित जातियों की आबादी 3,85,018 है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अब तक भारत सरकार द्वारा 703 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। इनकी भी आदिवासी जनजातियों की भी सैकड़ों उपजातियां एवं उतनी ही बोलियां और संस्कृतियां हैं। इनमें से लगभग 75 जनजातियां आदिम जातियों में शामिल की गई हैं। प्रस्तुत शोध में सोनभद्र जिले की आदिवासी बहुल 16 ग्राम पंचायतों की ग्रामीण विकास गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सोनभद्र जिले की आदिवासी बहुल 16 ग्राम पंचायतों की समस्याओं की पहचान करना तथा नीतियों और विकास के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव देना है। सोनभद्र के सभी 8 विकास खण्डों से आदिवासी बहुल 2-2 ग्राम पंचायतों का डेटा लिया गया है।

आदिवासी बहुल गांव में सरपंचों का साक्षात्कार लिया गया और आदिवासी बहुल गांवो के ग्रामीणों से प्रश्नावली विधि से डेटा एकत्रित किया गया है।

सोनभद्र के लोकसभा से लेकर पंचायत चुनावों में किस्मत आजमाने से वंचित आदिवासी जनजाति समाज के लिए आने वाले चुनावों में उन्हें चुनाव में आरक्षण मिल सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है। इस प्रकार वहां लोकसभा सीट का आरक्षण भी बदल सकता है।

जिले में गोड़, खरवार, चेरो, बैगा, भुइयां, पनिका, पठारी, अगरिया और पहरिया जनजातियां हैं। इसके अलावा ललितपुर जिले में इन जातियों के साथ ही सहरिया जनजाति भी हैं। सोनभद्र की करीब 18 लाख आबादी में लगभग छह लाख जनजाति निवास करते हैं। पहले यह जातियां भी अनुसूचित जाति में थीं, लेकिन वर्ष 2002 में इन जातियों को जनजाति में शामिल कर दिया। यूपी में जनजातियों को चुनाव लड़ने का आरक्षण न होने के कारण यह जातियां आम चुनाव से वंचित हो गई।

चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर दुद्धी क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद के तहत आबादी के अनुपात में जनजातियों को आरक्षण देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया था। इस निर्देश के बाद लोकसभा और राज्य सभा में री एडजेस्टमेंट आफ रीप्रेजेंटेशन आफ शिड्यूल कास्ट एंड शिड्यूल ट्राइव्ड इन पालियामेंट्री कांस्टिच्यूसी एंड स्टेट एसेंबली बिल 2013 सर्व सम्मति से पास हो गया। अब मामला केद्रीय निर्वाचन आयोग के पाले में चला गया है। आयोग ने यदि जल्द जनजातियों को आरक्षण देने का फैसला लिया तो इसका सीधा लाभ आदिवासी समाज को मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है

कि आरक्षण मिलने से जनजाति वर्ग के लोग पंचायत चुनाव से लेकर अन्य चुनाव तक लड़ सकेगे। आरक्षण लागू होने से यहां के हर चुनाव में सीटों की गणित बदल सकती है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण न मिलने से वे चुनाव से वंचित रह जाते हैं। इससे तमाम इलाके ऐसे हैं जहां ग्राम पंचायत सदस्यों की सीट रिक्त रह जाती है। वजह कि ऐसे क्षेत्रों अनुसूचित जाति के लोग मिलते ही नहीं है।

संबंधित जिला सोनभद्र अनुसन्धान पद्धति

प्रस्तुत शोध में एक व्यवस्थित अनुसंधान डिजाइन तैयार किया गया है। अध्ययन के लिए प्रासंगिक डेटा को प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्र किया गया है । विभिन्न विकास योजनाओं के 400 लाभार्थियों के नमूने उनके जीवन पर विभिन्न विकास योजनाओं / कार्यक्रमों के प्रभावों का आकलन करने के लिए लिया गया । साक्षात्कार शेड्यूल और प्रतिभागी अवलोकन जैसे अनुसंधान उपकरणों का उपयोग किया गया। माध्यमिक स्रोतों में सोनभद्र जिले की आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतों के आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल ग्राम पंचायत सदस्यों, और ग्रामीण गरीब आदिवासी लोगों से जानकारी एकत्र करने के लिए अलग प्रश्नावली का उपयोग किया गया जिन्होंने ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के तहत सहायता और अन्य लाभ उठाए है। एक प्रश्नावली तैयार की गयी जिसमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,शैक्षिक परिस्थितियों, जागरूकता और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से आदिवासी समुदायों हितो की पूर्ति के विभिन्न पहलुओं पर संबधित प्रश्न शामिल है ।[9]

पंचायती राज पर किये गये अधय्यन के कुछ अन्य द्वितीयक स्रोत

भारतीय आदिवासी समाज प्रकृति और लोगों की विविधता वाला एक अनूठा समाज है। पंचायती राज और सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की स्थितियों की बेहतरी के लिए निवेश समर्थित योजनाओं और परियोजनाओं की एक श्रृंखला के कार्यान्वयन को तैयार किया। आदिवासीयो के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास, आदिवासी संस्कृति आदि के आधार पर भारत में कई आदिवासी अध्ययन हुए हैं। विभिन्न अनुसंधान विद्वानों, आदि द्वारा इन आदिवासी अध्ययनों पर एक नज़र रखना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ.राजेश कुमार सिन्हा (2019) "पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण पर एक पत्रिका", पंचायती राज संस्थानों के विकास के लिए सुशासन और प्रभावी कार्य चलाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र और राज्य सरकार को पंचायत की क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से राज संस्थानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। वैष्णवी.एवं धिव्या आर, (2019) "पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय शासन की भूमिका", लोकतांत्रिक स्थानीय स्व-शासन की सबसे नवीन शासन में से एक है पंचायती राज संस्था। लेखक के माध्यम से जानकारी मिलती है आदिवासी ग्रामीणों और पर्यावरण की भलाई और कल्याण की जिम्मेवारी स्थानीय निकायों को दी गई । राज्य सरकारों द्वारा इसका प्रोत्साहन किया जा रहा है परन्तु स्थानीय निकायों, और भ्रष्टाचार, अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नही हो पा रही है। राजीव कुमार , (2018) "ग्राम पंचायत सदस्यों की सूचना की आवश्यकता: कुरुक्षेत्र जिले, हरियाणा का एक अध्ययन", यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर का सूचना केंद्र की स्थापना आवश्यक

है। फ़िलहाल पंचायतो में जैसे, प्रिंट नॉन-प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र , टेलीविजन, पुस्तकालय का गांवों में पर्याप्त सूचना केंद्रों का अभाव है। डॉ. अंजन कुमार , (2017) "पंचायती राज अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले का अध्ययन" , प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने चिन्हित एक आदिवासी क्षेत्र के पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका के ऊपर अधयन किया है। उनका मानना है की पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पछिम कामेंग जिला जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वहां की पारंपरिक आदिवासी ग्राम सभाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है । इसने अलग अलग जनजातियों और समुदायों के एक समूह के बजाय अरुणाचल नागरिक समाज के गठन के लिए राज्य राजनीति को एक नई दिशा दी है । वहां पर आदिवासी शिक्षित समुदाय में राजनीतिक जागरूकता तथा प्रतिनिधित्व का दायरा भी बढ़ा है।

बसवराज एस. बेनी (2018) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं पर एक अध्ययन", लेखक ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी को महत्व दिया है। भारत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिये मनरेगा, एसजीआरवाई जैसे कई विभिन्न योजनाये चला रही हैं। इनमे से एक अधयन आईएवाई, (RGGVY) एक आदिवासी गाँव की प्रगति को दर्शाता है। इसमें कई नई योजनाएँ SHG से भी सम्बंधित हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भारत में ग्रामीण विकास नीतियां, रोजगार सृजन योजनाओं और मनरेगा का अध्ययन, आजीविका सुरक्षा के रूप में रहने वाले ग्रामीण गरीबों पर रोजगार गारंटी योजनाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव और पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता आदि को सुधारने, 100 दिनों की दैनिक मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करने और श्रम प्रवास को रोकने में सफल रहा है । सागर एन, एचएल शिल्पा (2019) "ग्राम पंचायत प्रणाली की ई-सेवाएं", प्रस्तुत लेख में ई-ग्राम पंचायत के लिए ई-सेवाएं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है । इसका उपयोग

करके वे ग्राम पंचायत की प्रत्येक सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह अपडेट करता है ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोग ग्राम पंचायत में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती वाणी एच, प्रो. रविन्द्रनाथ एन. कादम, (2016) "भारत में पंचायत राज संस्थान और ग्रामीण विकास: पंचायतों का संरचनात्मक और कार्यात्मक आयाम", लेखक ने अपने अध्यन में पाया की प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद में ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिये सभाओं और समितियों का उल्लेख है। पंचायत का शाब्दिक अर्थ है पंच (पंच) की सभा (पंच) बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग जिन्हें ग्राम समुदाय द्वारा चुना और स्वीकार किया जाता है, वर्तमान पंचायती राज प्रभावी और इन निकायों का सार्थक कामकाज सक्रिय भागीदारी योगदान और इसके नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करेगा, दोनों पुरुष और महिला। ग्रामीण विकास में ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

नटराज. जी और डॉ. मीनाक्षी (2016) "कर्नाटक में पंचायत राज प्रणाली में ग्राम सभा", अध्ययन का निष्कर्ष है कि ग्राम सभा स्व-शासन के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक ने आदिवासी गरीबों के वर्गीकरण और जरूरतों के प्राथमिकताकरण को समझने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। उनका मानना है की लाभार्थियों का चयन करने से पहले परिवारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए , यह कार्य कुशल ग्राम सभा के माध्यम से तैयार किये जा सकते हैं। गीता और संजय मिश्रा, (2019) "भारत में पंचायती राज संस्थान: संभावनाएँ और प्रत्याशाएँ, उनके अध्ययन से पता चला है कि पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि वाली बहुमत जाति समाज के लोग, स्थानीय पंचायत नेताओं, राजनीतिक पार्टी और स्वार्थी लोगो के हस्तक्षेप ने पंचायतो के पारम्परिक कार्य को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लेखक का यह मानना है की यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रामीण लोग लोकतांत्रिक

विकेंद्रीकरण और राजनीतिक भागीदारी के बारे में बिल्कुल भी सचेत नहीं हैं। इसके अलावा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जो एक अधीनस्थ भूमिका निभाने के बजाय पंचायतों की सेवा के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करें। इस प्रकार, स्थानीय नेताओं को राष्ट्र-निर्माण और देश के शासन में उनकी वैध भूमिका के बारे में शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। ग्राम सभाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। योजनाओं के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। डॉ. निखिल गोपाल अग्रवाल, (2016) "पंचायती राज संस्थाओं में सामुदायिक भागीदारी", बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गाँव-स्तर के मामलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खुद पर गर्व करते हैं। संभवतः उन लोगों को शासन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है वे भाग लेने की संभावना रखते है। लेखक का यह भी मानना है की जब स्थानीय शासन में नौकरशाही का बोलबाला तथा संभ्रांत लोग अपने अल्पकालिक स्वार्थी लक्ष्यों के लिए जनता को अपना दुश्मन मानते हैं।

विजय सिंह, (2016) "हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की शक्तियां और कार्य", लेखक का मानना है की हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थान अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी और विकासात्मक कार्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थानों के पास पर्यावरण और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी है, भविष्य के नेतृत्व के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए, सुझाव सभी खंड स्तर पर प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं प्रदान करना है, और प्रेरणा का उद्देश्य स्थानीय प्रतिनिधियों को अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

दुर्गा कल्याण जी (2014) भारत में पंचायती राज संस्थानों में लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली पर एक लेख, लेखक के अध्ययन का निष्कर्ष है कि पंचायती राज संस्थानों, लेखा सॉफ्टवेयर और तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए लेखा लेखा प्रणाली को बनाए रखने और व्यवहार में लागू तथा नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत ग्रामीण लोकपाल की आवश्यकता है। इसका कार्य पंचायती राज संस्था को अधिक पारदर्शी बनाने तथा राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित हो पाएगी। कुमार सत्यम(2014) ने "झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व" का विश्लेषण किया है। लेखक ने निष्कर्ष निकाला कि पंचायती राज संस्थान ने झारखंड में आदिवासी जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक प्रस्तुति और भागीदारी उनके जीवन के तरीके हैं नए विचारों को संश्लेषित करने, अपनी इच्छा को दृढ़ संकल्प तथा नए अवसरों को खोलने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। झारखंड में ग्रामीण स्तर पर बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं राजनीति में आ रही हैं। यह बिना किसी लिंग भेद के सभी वर्गों के राजनीतिक हित को दर्शाता है।

एस. थानिकसालम, डॉ. सरावथी (2019), "ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका पर एक अध्ययन", उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन ने चयनित आदवासी क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक मामलों को भी प्रभावित किया है। SJGSY, MNREG, हाउसिंग स्कीम जैसे विकास कार्यक्रम गाँव के कुटीर उद्योगों को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में सुधार करते हैं। विभिन्न कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे कि एक पशु, पति भेड़, बकरी पालन हस्तकला छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, और लोगों को अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। गरीबी की रेखा से ऊपर चयनित क्षेत्र में गरीबों के लिए लाभकारी स्थिति बनाई गई हैं। यहां तक कि कुछ लाभार्थी विकास कार्यक्रम को

अपनाए जाने के बाद कई गरीब योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं और वे एक औसत दर्जे का जीवन जी रहे हैं।

प्रो. दुर्गा प्रसाद छेत्री (2017) "भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामाजिक समावेश: संबंधों की खोज" प्रस्तुत लेख में लेखक ने विशेष क्षेत्र जिनमे एससी / एसटी और महिलाओं सहित लोगो को अपने अध्यन में शामिल किया। पंचायती राज व्यवस्था ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ाया है, स्थानीय समुदायों को लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से अपने स्थानीय नेतृत्व को निर्धारित करने में सक्षम बनाया है, जो स्व-शासन के लिए लोगों को समान अवसर प्रदान करता है।

जटंटा दत्ता (2013), "पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन, पश्चिम बंगाल का अवलोकन", लेखक ने अपने अध्ययन का निष्कर्ष है कि जहां तक खातों और अभिलेखों के अध्यन की जाँच से पता चलता है की पंचायती राज व्ययवस्था के कामकाज में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं देखी गई हैं। पश्चिम बंगाल पंचायती राज बजट और कार्य नियम जो वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में पंचायतों का मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं उसका ज्यादातर वित्तीय पंचायतों के प्रबंधन में लागू नहीं किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायतों द्वारा शासित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास किया गया है । लेखक का मनना है की पंचायतों को अपने फंड का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अश्विनी कुमार, (2016) "जम्मू-कश्मीर के पंचायती राज संस्थानों में कमजोर वर्गों की भागीदारी" पर एक पत्रिका, इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि कोई यह कह सकता है कि एससी / एसटी महिलाएं और राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से उपेक्षित रही हैं। यद्यपि समग्रता में उनका प्रतिनिधित्व बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन वे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार के प्रोत्साहन और सशक्तीकरण के कारण, स्व-प्रेरित और प्रतियोगिता के लिए एक पृष्टभूमि तैयार कर रहीं

है। डॉ. राजेश तिमाने (2015) “स्टडीहोल्डर एंगेजमेंट इन सोशल ऑडिट का एक अध्ययन”, प्रसतुत अध्यन में लेखक ने पंचायतो में सोशल ऑडिट उसमे हितधारकों का परिणाम प्रणाली का अधयन किया है । लेखक ने स्थानीय समुदाय एक कार्यक्रम के सभी रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की छानबीन करता है। उनका मानना है की सामाजिक ऑडिट एक सफल संस्थान है। सरकारों को स्थानीय स्तर पर भागीदारी प्रबंधन में उन्हें और अधिक कुशल बनाने तथा ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता को सुनिश्चित करें। श्री कर्ण मरवाहा (2011) “पंचायती राज संस्थान: सुशासन की ओर कदम”, यह निष्कर्ष निकालना कि स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज चुनाव भारत जैसे विकासशील देश के लिए आवश्यक है, इससे लोगों में निर्भरता में वृद्धि हुई है, जिससे प्रतिनिधि शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भागीदारी के बजाय जागरूकता की कमी, भूमिका स्पष्टता की कमी, अपर्याप्त धन और लैंगिक पक्षपात की वजह से लोकतांत्रिक शासन की उपलब्धि में बाधा उत्पन्न की है।

अरोड़ा, विभा (2007), ‘पहचान की राजनीति’, प्रस्तुत अधयन में लेखक ने भारत में आदिवासीयो के बनने की ‘पहचान की राजनीति’ पर चर्चा करते हैं। उन्होंने भूटिया, लेप्चा और लिंबस का उपयोग करते हुए, जिन्हें ‘जनजाति’में परिभाषित किया गया है जो सिक्किम में निवास करते है। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति में बदलने की सांस्कृतिक राजनीति प्रतिनिधित्व के शासन को प्रभावित करने के लिए अपनी राजनीतिक ताकत और शक्ति को दर्शाती है। ताकि उपयुक्त अधिमान्य एंटाइटेलमेंट और संसाधनों को नियंत्रित किया जा सके। सिक्किम राज्य की स्थिति में, आदिवासी होने के नाते जरूरी नहीं कि वह अशिष्टता, उत्पीड़न, या अधीनता की स्थिति में हों । इसके विपरीत, यह राजनीतिक मुखरता और सशक्तिकरण के स्तर को दर्शाता है। आदिवासी पहचान बहिष्करण और समावेशन, क्षेत्रीयता की अभिव्यक्ति, अकर्मण्यता और परिदृश्य में संबंधित और राज्य द्वारा

मान्यता पर निर्भर करती है। पहचान की संरचना में राज्य की निरंतर भूमिका और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकारों के आवंटन के साथदावो राष्ट्रवादी-साथ जातीय-औरराजनीतिक स्वायत्तता के लिए आंदोलनों की प्रतिक्रिया के लिए लेखक ने जांच की है सुझाव है।

घोष (2015) ने "ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में पंचायत की भूमिका" लेखक ने अपने अध्यन में कहा है की भले ही उन्हें शक्तियों और संसाधनों के रूप में राज्य सरकार से ज्यादा सहायता न मिली हो। उन्होंने उन तरीकों और साधनों का सुझाव दिया जिनके माध्यम से ये संस्थाएँ गरीबों सहित ग्रामीण लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पंचायत संस्थानों के माध्यम से स्थानीय स्तर की योजना शुरू करना इन निकायों को सशक्त बनाने में एक बड़ा कदम होगा, जो आदिवासी ग्रामीण गरीबी में कम करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

अध्ययन क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन और शोध अन्तराल

ग्रामीण आदिवासी समाज के सबसे निचले तबके में घरों की आय और रोजगार प्रदान करने वाले गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप आदिवासी समुदायों की संरचना में संभावित बदलाव को देखना काफी दिलचस्प है।आदिवासी समाज जो लंबे समय तक, ये परिवार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभ से वंचित थे जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी जड़ें गहरी हैं। अब, पंचायती राज व्यवस्था और उसके कार्यक्रमों ने आदिवासी गरीबों के लिए अपनी स्थितियों में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक और समान रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस अध्ययन क्षेत्र में देखा गया है, वह यह है कि जिन ग़रीब लोगों की ग्राम संस्थाओं के कामकाज में कभी कोई आवाज़ नहीं थी, वे अब इन गरीबी

उन्मूलन या ग्रामीण विकास कार्यकम के बाद सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। यह आदिवासी गरीबों द्वारा प्राप्त आत्मविश्वास को दर्शाता है कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करना मूल रूप से उनके लिए था। यह परिवर्तन मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था और उनके कामकाज के कारण है। लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण ने शासन में भागीदारी को तो सुनिश्चित किया है परन्तु अभी पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति में अभी और अधिक शोध और उसके अन्तराल (गेप) करने और उसके वास्तविक स्थिति को भी समझाना उचित होगा। पंचायती राज ही नहीं अपितु भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सामाजिक संस्थाए आदिवासियों के हितो और उनके कल्याण से प्रभावशाली रूप से जुड़ी है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. **भारत में पंचायती राज वयवस्था में अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करना।**

2. **शासन की जमीनी संरचना में शामिल करके अनुसूचित जनजातियों के बीच सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।**

3. **73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं और कार्यान्वयन की जांच करना।**

4. **उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति पंचायत विस्तार की मुख्य विशेषताओं और कार्यान्वयन का अध्ययन करना।**

5. **उत्तरप्रदेश और उसके एक जिले सोनभद्र पंचायती राज संस्थाओं की प्रभाव का मूल्यांकन करना।**

6. उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायत राज के अधिक प्रभावी कामकाज के लिए सुझाव देना।

परिकल्पना

अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है।

1. **पंचायती राज संस्था आदिवासी ग्रामीण विकास, ग्रामीण समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।**
2. **भारत के विकास की मुख्यधारा में जनजातिय समुदाय पूरी तरह से समावेशी नहीं रहा है।**
3. **सोनभद्र में लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण का एक लगभग नौकरशाही स्वरूप विद्यमान है।**

अध्ययन की सीमाएं-

शोधकर्ता को काफी सीमाओं के तहत काम करना पड़ता है। प्रत्येक शोधकर्ता किसी न किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किया जाता है एवं शोध कार्य की पूर्ण सार्थकता उसकी मौलिकता पर निर्भर है। जिनमे कुछ इस तरह हैं-

1. **शोध अध्ययन भारत की पंचायत राज व्यवस्था उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले पर केंद्रित है।**
2. **शोध अध्ययन केवल 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद केंद्रित है।**

3. **शोध अध्ययन में अनुसूचित जनजाति, आदिवासी पर केंद्रित है।**

4. **अध्ययन के समग्रह का व्यापक क्षेत्र कार्य हेतु निर्धारित समयावधि का पर्याप्त न होना।**

5. **अध्ययन के दौरान पंचायती चुनाव में गांव के उच्च वर्ग द्वारा चुनावी दांव-पेंच देखने का अवसर सामने आया।**

6. **अध्ययन के दौरान पंचायत चुनाव में सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया गया।**

7. **लोकतंत्र के पंचायत चुनाव में विषय की गंभीरता एवं लोकतंत्र महापर्व देखते हुए ग्रामीणों द्वारा सहयोगपूर्ण रवैया रहा।**

8. **विषय की गम्भीरता का देखते हुये अनेक लोगों ने कठोर व्यवहार किया एवं किसी भी तरह की मदद डरते हुये करते हैं।**

9. **ग्रामीणों में बसे लोगों खुलकर बात नहीं करते यदि बात करते भी है तो कुछ समय तक फिर कार्य करके चले जाते है, संकोची स्वभाव के कारण उनसे कभी कभी-कभी सहयोग नहीं भी मिला।**

10. **अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण लोग अधिकांश अशिक्षित होने के कारण अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाये।**

इस प्रकार शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक, वर्णात्मक, विष्लेषणात्मक तथा वैज्ञानिक, प्राथमिक पद्धति का प्रयोग करके तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। शोध-प्रबंध में प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों का भी पूर्ण उपयोग किया

गया है। अतः शोधार्थियों ने पाया है कि वैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित होने के कारण यह शोध प्रबंध अपनी मौलिकता को वास्तविक एवं यथार्थ रूप में अभिव्यक्त कर सकेगा।[10]

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में समय और धन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए जिले के पंचायती राज (पीआरआई) के सभी प्रतिनिधियों और अन्य उत्तरदाताओं से संपर्क करना और उनसे डेटा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण और अन्य नमूनाकरण तकनीकों को अपनाया जाता है और ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, क्षेत्र पंचायतों, और जिला पंचायत वार्डों का एक नमूना तैयार करने का निर्णय लिया गया। जहां अनुसूचित जनजाति, आदिवासी बहुल आबादी चुनी जाती हैं। साक्षात्कार के लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को चुना गया। इन पंचायतों के सदस्यों को क्षेत्र से डेटा एकत्र करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा संपर्क किया गया। उपरोक्त उत्तरदाताओं से प्राथमिक डेटा प्राप्त करने के लिए, शोधकर्ता ने के लिए चार साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गयी। वर्तमान अध्ययन के लिए प्रयुक्त पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों, ऑनलाइन स्रोतों, आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले जानकारी के द्वितीयक स्रोत, माध्यमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अलावा, शोधकर्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, इलाहाबाद के पुस्तकालय सहित विभिन्न पुस्तकालयों का दौरा किया, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, लखनऊ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, पंचायती राज मंत्रालय, और सी.एस.डी.एस संस्थान की लाइब्रेरी का प्रयोग किया गया है।

डेटा विश्लेषण के लिए तकनीक:

शोधकर्ता द्वारा उत्पन्न प्राथमिक डेटा को व्यवस्थित, वर्गीकृत, सारणीबद्ध और उसके बाद व्याख्या की गई है। इस संदर्भ में, कंप्यूटर, इंटरनेट और सांख्यिकी टूल का उपयोग किया गया है ताकि प्राथमिक डेटा से संबंधित जानकारी को समझा जा सके।

शोध अध्ययन के उपकरण

अध्ययन समस्या के चयन कर लेने के पश्चात् यह निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है कि किन उपकरणों एवं तरीकों से तथ्यों को संग्रहित किया जाये उसमें अध्ययन का कार्य सुगमता और सही प्रकार से हो सके वैज्ञानिक विष्लेषण पर और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है और उन्हें पूरा करने के लिए शोधकर्ता जिस विधि या तरीकों को अपनाता है उसे प्रविधि कहा जाता है। प्रविधि वह साधन है जिसके माध्यम से शोध के लिये अवश्यक वास्तविक तथ्यों सूचनाओं तथा आकड़ों का संकलन किया जाता है।[11]

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक एवं विष्लोषात्मक अध्ययन है अतः शोध साधारणतः ऐसे शोध के लिये समस्या की सामान्य स्थिति क्या है। दूसरे शब्दों में समस्या के संबध में विद्यमान तथ्यों का अध्ययन वर्णन है। वर्णात्मक शोध के एवं व्याख्या कई प्रकार भी होते है इस अध्ययाय में शोध समस्या के अनुसार। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसी क्षेत्र में समस्या के संबंध में निश्चित प्रकार के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण विधि प्रस्तुत शोध के लिये निर्देशन के आधार पर चुने गये क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया तथा उसके आधार पर तथ्यों का संग्रह किया गया। आकड़ों के संग्रह के लिये लिये सर्वेक्षण विधि के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है किन्तु प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों को प्रयोग में लाया गया।

1 साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नवली

2 अवलोकन

3 सामूहिक चर्चा

4 अन्य

इस प्रकार शोधार्थी द्धारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव में अन्वेषणात्मक, विष्लेषणात्मक तथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तथ्यों को उजगार करने का प्रयास किया गया है। शोध प्रस्ताव में प्राथमिक तथा द्वितीय स्त्रोतों का भी पूर्ण उपयोग किया गया है। अतः शोधकर्ता के लिए कि कई अनुसंधान कितना वैज्ञानिक है, जिसमें वैज्ञानिक पद्वति का प्रयोग किया गया हो और वैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित होने के कारण शोध प्रबंध मौलिकता को वास्तविकता एवं यथार्थ रूप में अभिव्यक्त हो । साथ ही विषय से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष के विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी पुस्तकों एवं सबंधित ग्रथों को भी आवष्यकतानुसार अध्ययन किया गया है। उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिलों के गांवो का सर्वेक्षण एवं वहाँ के आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों से साक्षात्कार कर वास्तविक तथ्यों के संग्रहण का पूर्ण प्रयास किया गया है।[12]

साक्षात्कार अनुसूची

अनुसंधान कार्य में आंकड़ों एवं सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए परोक्ष साधनों की अपेक्षा अब प्रत्यक्ष साधनों का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि समस्या अवलोकन द्वारा संचित सूचनाएँ अधिक उपयोगी और विश्वनीय होती है। साक्षात्कार अनुसूचित जनजातियों अनुसंधान समस्या के समाधान के लिये आवश्यक आंकड़ो के संग्रह हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला एक अनुसंधान उपकरण है जिसके अंतर्गत सावधानीपूर्वक चुने हुये प्रश्न की एक

ऐसी सूची होती है जिसके उत्तर शोधकर्ता द्धारा उत्तरदाताओं से आवश्यक सूचना प्राप्त करते हुऐ भरे जाते है।

गुडे एवं हैट के अनुसार "अनुसूची उन प्रश्नों का सम्मुच्य है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जातें है। प्रस्तुत अध्ययन में जिस क्षेत्र को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है वहाँ इस तरह के अध्ययनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तथा अध्ययन विषय के सबंध में जानकारी देने से लोग डरते हैं, अतः ऐसी स्थिति में साक्षात्कार अनुसूचित का महत्व बढ़ जाता है। साक्षात्कार अनुसूची में अध्ययन विषय के उद्देश्य से संबंधित जानकारी लेने हेतु आवश्यक प्रश्न का समावेश किया गया"[13]

(2) अवलोकन विधि

अध्ययन विषय से संबधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं या तथ्यों को अध्ययन स्थल पर जाकर वास्तविक निरीक्षण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सहभागी भी हो सकता है और असहभागी भी। अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन किये जाने वाले समुदाय या समूह का एक सदस्य बनकर उन्हीं के बीच रहते हुये अपने विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसके बीच विपरीत असहभागी निरीक्षण में एक वह एक बाहरी सदस्य के रूप में समय-समय पर निरीक्षण के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करता रहता है। प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची के अतिरिक्त शोधकर्ता द्वारा ''अवलोकन विधि'' का भी प्रयोग किया गया। शोधार्थी कुछ दिनों तक सोनभद्र जिले के ग्रामों में भी रहा ताकि अध्ययन विषय के प्रत्येक पहलू को नजदीक से देखा व समझा जा सके। इसके अतिरिक्त शोधार्थी समय समय पर क्षेत्र कार्य के दौरान पंचायत क्षेत्र में जाता रहा अतः काफी उपयोगी जानकारियों अवलोकन के माध्यम से प्राप्त हुई।[14]

(3) सामूहिक चर्चा विधि

साक्षात्कार एवं अवलोकन के बाद भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य यह रहता है कि अध्ययन विषय के प्रमुख बिन्दुओं पर आम व्यक्तियों का दृष्टिकोण क्या है ? बहुधा किसी सामान्य समस्या पर सभी व्यक्ति एकत्रित हो सकते है, किन्तु किसी विषेष समस्या के प्रति व्यक्तियों में मन भिन्नता हो सकती है क्योंकि उस समय पर व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति के दृष्टिकोण के निर्धारण के प्रभावी भूमिका निभाती है। सामूहिक चर्चा से यह लाभ होता है कि अनुसंधानकर्ता के समय समस्या के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर एकाधिक तर्क प्रस्तुत किये जाते है जो समस्या के मूल में जाने हेतु अत्यंत प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते है। प्रस्तुत अध्ययन में चूंकि अध्ययन हेतु समाज के सभी जाति एवं अन्य वर्ग के लोगों को अध्ययन की इकाई के रूप में चयनियत किया गया है अतः आवश्यक महत्वपूर्ण बिन्दुओं जिनके माध्यम से इस अध्ययन की विषिष्टता प्रतिपादित होगी पर सभी वर्गों की राय ली जा सकी। समूह चर्चा के माध्यम से तथ्य उभरकर सामने आया कि अनेक मुद्दो पर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक एवं बौद्धिक क्षमता उसके दृष्टिकोण की प्रभावों के अध्ययन से संबंधित है। अतः उत्तरदाताओं ने समूह चर्चा में काफी दिलचस्पी दिखाई है।[15]

(4) अन्य विधियाँ

स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संबधित जानकारी हेतु उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले के जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों से भी अवश्यक जानकारी संग्रहित की गई है। पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों एवं शोध ग्रन्थों के साथ साथ पत्रों से भी जानकारी एकत्रित की गई। अध्ययन हेतु चयनित जिलों की गांव, तहसील से संबंधित जिला मुख्यालय के आभिलेखों से संग्रहित की गई है।

विश्लेषणात्मक प्रकिया

पी.वी.यंग है कि ‘‘वैज्ञानिक विष्लेषण यह मानता है कि तथ्यों के संकलन के पीछे स्वयं तथ्यों से कहीं अधिक महत्पूर्ण व रहस्योद्घाटक कुछ और भी है। यदि व्यवस्थित तथ्यों को संपूर्ण अध्ययन से सबंधित किये जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रकट हो सकता है जिसके आधार पर घटना की सप्रमाण व्याख्याए प्रस्तुत की जा सकती है।’’ इस कथन का तात्पर्य यह है कि शोध कार्य में केवल तथ्यों का पहाड़ एकत्रित कर लेने से अध्ययन विषय का वास्ताविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उन एकत्रित तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विष्लेषण और व्याख्या न की जाए। ताकि विषय के संबध को शोध का रचनात्मक पक्ष कहा जाता है। पुराने सिद्वांत व नियमों की परीक्षा करके नवीन सिद्धांतों या नियमों को प्रतिपादित करने अथवा पुराने सिद्धांतों या नियमों का गलत प्रमाणित करने के लिए एकत्रित तथ्यों की व्याख्या व विष्लेषण आवश्यक है। स्वयं तथ्य कुछ नहीं कहते, परन्तु उनका क्रमबद्ध विष्लेषण व व्याख्या करके उन्हें मुखरित किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन ने सर्वप्रथम उत्तरदाताओं के माध्यम से एकत्रित तथ्यों में व्याप्त त्रुटियों अशुद्धियों या कमियों को दूर करने हेतु उनका संपादन निकाला। अनावश्यक तथा दोषपूर्ण तथ्यों को संपादन के द्धारा निकाला दिया गया जिससे वांछित सामग्री ही विष्लेषण हेतु रह जाए। तथ्यों के संपादन के पष्चात वर्गीकरण की प्रक्रिया द्धारा तथ्यों के ढेर को व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं सीमित किया गया, अर्थात तथ्यों में पायी जाने वाली समानता या विभिन्नता के आधार पर उनको व्यवस्थित रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।[16]

अध्याय की रूपरेखा

पहला अध्याय

प्रस्तावना:- वर्तमान अध्ययन के लिए प्रासंगिक अवधारणाएँ जैसे कि विकेंद्रीकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, परिभाषाएँ और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं शामिल है । इस अध्याय में अध्ययन के महत्व, इसके उद्देश्यों, पद्धति के अध्ययन पर भी चर्चा की गई है।

दूसरा अध्याय

साहित्य समीक्षा- से संबंधित है। इसमें पंचायती राज संस्था, जनजातीय, आदिवासियों के विकास और जनजातीय अधिकारों से संबंधित समीक्षाएं शामिल है । भारत में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जनजातीय महिला, ग्राम सभा और पंचायती राज संस्थानों की भूमिका, लोगों की भागीदारी और पीईएसए और इसके कार्यान्वयन की विभिन्न श्रोतो के माध्यम से समीक्षा की गयी है।

तीसरा अध्याय

पंचायती राज संस्थाएं : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सम्बंधित कानून एवं संवैधानिक प्रावधान से सम्बंधित है। इसमे भारत के पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित ऐतिहासिक विकासक्रम, कानून, अधिनियमों, समितियों के बारे में वर्णन किया गया है।

चौथा अध्याय

उत्तरप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं तथा जनजातियों की सहभागिता: एक अवलोकन से सम्बंधित है।

इसमें उत्तरप्रदेश राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के विकासक्रम, उसकी कार्यप्रणाली, नियमो, अधिनियमों की चर्चा की गयी गयी है। इस अध्याय में उत्तरप्रदेश राज्य में जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, जनगणना और सांस्कृतिक स्थिति का भी तालिकाबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया है।

पांचवा अध्याय

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचायती राज संस्थाओ में जनजातियों की सहभागिता: एक आनुभविक अध्ययन से सम्बंधित है। इसमें उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के प्रमुख आदिवासी, जनजातियो और अन्य लोगो (सूचनादाताओं) से प्रश्ननोत्तर के माध्यम से जिले के पंचायती राज्य व्यवस्था और सहभागिता के बारे में प्राप्त जानकारी को प्राथमिक स्रोत के रूप में सारणीबद्ध किया किया गया है।

छठा अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ शोध सामग्री सूची-

संदर्भ सूची- ग्रन्थ /लेख

1. दयाल राजेश्वर, (2010), 'पंचायती राज इन इंडिया', मेमो पोलिटिन बुक डिपो, लकी प्रेस, दिल्ली-7, पृ. 61-62
2. डॉ.इकबाल नारायण, (1989), 'राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत', भाग 1, पृ. 383-384
3. डॉ.बी.एस.शर्मा, बृजभूषण लाल शर्मा,आशीष भट्ट,जी.एम.सरकार, (2015), 'भारतीय शासन एवं राजनीति', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 121
4. डॉ.के.के.शर्मा, (2015), 'भारत में पंचायती राज, विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 8-9
5. डॉ.विश्वनाथ प्रसाद शर्मा, (2000)आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, पृ. 83-84
6. डॉ.एस.सी.सिंहल, (2016), 'भारतीय शासन एवं राजनीति', लक्ष्मीनारायण पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 243-244
7. डॉ.के.के.शर्मा, (2017), 'भारत में पंचायती राज, विश्वभारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 8-9
8. लुईस प्रकाश, (2015), 'भारत के अनुसूचित जनजातियों के अधिकार', मानक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

9. https://sonbhadra.nic.in/hi/

10. डॉ.बी.एम.जैन, (2017), रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन, पृ. 185

11. डॉ.धर्मवीर, महाजन व डॉ. कमलेश महाजन, सामाजिक अनुसंधान का प्रणाली विज्ञान-विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017 पृ. 152

12. डॉ.विरेन्द्र प्रकाश शर्मा, (2018) 'रिसर्च मैथडोलॉजी', पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 155-156

13. डॉ.आर.एन.त्रिवेदी, डॉ.डी.पी.शुक्ल, (2015), 'रिसर्च मैथडोलॉजी', कॉलेज बुक डिपो जयपुर

14. डॉ.आर.एन.त्रिवेदी, डॉ.डी.पी.शुक्ल,(2015), 'रिसर्च मैथडोलॉजी', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

15. डॉ.विरेन्द्र प्रकाश शर्मा, (2017), 'रिसर्च मैथडोलॉजी', पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 200 -215

16. डॉ. वीरेन्द्र प्रकाश भट्ट, (2018), 'रिसर्च मैथडोलॉजी', पंचशील प्रकाशन, जयपुर